


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा 4(ब) के 17 बिन्दुओं की जानकारी

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सिवनी

पुलिस विभाग जिला ईकाई सिवनी का संगठनात्मक ढाँचा



बिन्दु क्रमांक – 02

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

1. पुलिस अधीक्षक सिवनी शक्तियाँ :-

पुलिस अधीनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

कर्तव्य :-

1. पुलिस अधीक्षक अपने जिले के पुलिस बल का प्रमुख हैं और इसके प्रबंध, दक्षता एवं अनुशासन और उसके कर्तव्यो के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं ।
2. न्यायालयो, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

2. अति० पुलिस अधीक्षक सिवनी शक्तियाँ :-

पुलिस अधीनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

कर्तव्य :-

अति० पुलिस अधीक्षक अपने जिले के पुलिस अधीक्षक के सहायक के रूप मे कार्य करना ।

3. अनु० अधिकारी(पुलिस)

पुलिस अधीनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

अनु० अधिकारी पुलिस अपने अनुविभाग का प्रमुख होता हैं । जिनके द्वारा अपने अधीनस्थ थानों का प्रबंध, दक्षता एवं अनुशासन और उसके कर्तव्यो के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयो, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

4 निरीक्षक

पुलिस अधीनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

निरीक्षक थाना प्रभारी अपने थाने का प्रमुख होता हैं । जिनके द्वारा अपने थाने का प्रबंध, दक्षता एवं अनुशासन और उसके कर्तव्यो के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयो, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

5. उप निरीक्षक

पुलिस अधिनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

उप निरीक्षक थाना प्रभारी अपने थाने का प्रमुख होता हैं । जिनके द्वारा अपने थाने का प्रबंध, दक्षता एवं अनुशासन और उसके कर्तव्यो के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयो, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना । उप निरीक्षक निरीक्षक के सहायक के रूप मे भी कार्य करते है ।

6. सहायक उप निरीक्षक

पुलिस अधिनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

सहायक उप निरीक्षक थाना प्रभारी के सहायक के रूप मे कार्य करते हैं । जिनके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना, अनुशासन और उसके कर्तव्यो के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयो, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

7. प्रधान आरक्षक

पुलिस अधिनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेश/निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन बनाये रखना और उसके कर्तव्यो के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयो, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

8. आरक्षक

पुलिस अधिनियम 1861, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के अर्न्तगत विभिन्न धाराओ मे प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य अधिनियमो, नियमावलियों, परिपत्रों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अर्न्तगत दी गई शक्तियाँ ।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेश/निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन बनाये रखना और उसके कर्तव्यो के उचित पालन के लिए जिम्मेदार हैं । न्यायालयो, या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशो का पालन शीघ्रता से कराना सुनिश्चित करना ।

कार्यालयीन

मुख्य लिपिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय का प्रमुख होता हैं जो पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार समस्त कार्यालयीन कार्य अपने अधिनस्थ लिपिको के सहयोग से संपादिक करने/कराने मे के लिये जिम्मेदार होता है ।

बिन्दु क्रमांक – 03

निर्णय लेने की प्रक्रिया

पुलिस रेग्यूलेशन में दिये गये प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार ईकाई प्रमुख द्वारा विभागीय निर्णय लिये जाते हैं ।

बिन्दु क्रमांक – 04

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

गृह पुलिस विभाग द्वारा सिटीजन चार्टर के अन्तर्गत तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में दी गई समय सीमा के अन्तर्गत कार्य का सम्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है ।

बिन्दु क्रमांक – 05

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

अभिलेख का नाम :- पुलिस अधिनियम 1861 अभिलेख का प्रकार – नियम
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय :- पुलिस अधिनियम 1861 के अन्तर्गत समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके कर्तव्य के निर्वहन हेतु शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं ।

अभिलेख को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं :-

पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिवनी

फोन नम्बर 07692-220175

फैक्स नम्बर 07692-226689

ई-मेल sp_seoni@mppolice.gov.in

sp.seoni@rediffmail.com

sposeo@mp.gov.in

बिन्दु क्रमांक – 06

लोक प्राधिकारी के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

कार्यालय द्वारा निम्नानुसार विभिन्न दस्तावेज जो चालान के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर सूचना के अधिकार नियम के अर्न्तगत जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं ।

1. अन्तिम निष्कर्ष
2. शिकायत जांच के परिणाम ।
3. शव परीक्षण रिपोर्ट ।
4. पुलिस अहस्ताक्षेप योग्य अपराध रिपोर्ट की नकल
5. प्रथम सूचना पत्र की प्रति
6. मार्ग इन्टीमेशन
7. एमएलसी रिपोर्ट

इन सबके अलावा अन्य प्रकार के दस्तावेज/अभिलेख/सूचनाएँ आदि हार्ड कापी कार्यालय में उपलब्ध हैं ।

बिन्दु क्रमांक – 07

निति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनायी गई व्यवस्था का विवरण

समय –समय पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शान्ति समिति की बैठके आयोजित की जाती हैं जिसमें जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न समुदाय के गणमान्य नागरिकों से परामर्श लेकर भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

इसके अतिरिक्त परिवार परामर्श केन्द्र के माध्यम से गणमान्य नागरिकों के सहयोग से पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद को आपसी परामर्श के द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता है।

समाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण केन्द्र के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं के शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु प्रयास किये जाते हैं।

वर्तमान परिवेश में पुलिस विभाग में बल की कमी, अपराधों में वृद्धि की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जन सहयोग से नगर रक्षा/ग्राम रक्षा समितियाँ गठित की गई हैं।

बिन्दु क्रमांक – 08

बोर्ड, परिषदो, समितियों एवं अन्य निकायो का विवरण

1. परिवार परामर्श केन्द्र – शुक्रवारी सिवनी
2. प्रकार – समिति
3. स्थापना वर्ष – 1999
उद्देश्य :- पति-पत्नि के पारिवारिक विवाद को आपसी परामर्श के द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता है।
4. संबंध संस्था की भूमिका – परामर्शदात्री
5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य- वर्तमान में परिवार परामर्श केन्द्र जिला मुख्यालय के अतिरिक्त समस्त अनुभागो में कार्यरत है एवं इनकी वर्तमान सदस्य संख्या 10 हैं।
6. मुख्य अधिकारी का नाम – पुलिस अधीक्षक सिवनी
7. मुख्य कार्यालय – शुक्रवारी सिवनी
अन्य कार्यालय – अनुभाग लखनादौन एवं केवलारी
8. बैठक की आवृत्ति – प्रत्येक शनिवार
9. बैठक में जनता भाग ले सकती हैं
10. बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र

1. सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र – थाना अजाक सिवनी
2. प्रकार – समिति
3. स्थापना वर्ष – 2002
उद्देश्य :- समाज के कमजोर वर्गों एवं महिलाओं का उत्थान
4. संबंध संस्था की भूमिका – परामर्शदात्री
5. स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य- वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र जिला मुख्यालय के थाना अजाक में स्थित हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 8 है।
6. मुख्य अधिकारी का नाम – पुलिस अधीक्षक सिवनी
7. मुख्य कार्यालय – थाना अजाक सिवनी
8. बैठक की आवृत्ति – प्रत्येक माह 15 एवं 30 तारीख
9. बैठक में जनता भाग ले सकती हैं
10. बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं

बिन्दु क्रमांक – 09

समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

क सं.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ई-मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	डॉ. रमनसिंह सिकरवार	पुलिस अधीक्षक	07692	226689	225589 mo. 9425093 000	226689	sp_seoni@mppolice.gov.in	पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिवनी
2	श्री आर.एस. डहेरिया	अति० पुलिस अधीक्षक	07692	220175	220284	-	asp_seoni@mppolice.gov.in	—”—
3	श्री एन.डी. जाटव	एसडीओपी सिवनी	07692	220309	221309	220309		एसडीओपी कार्यालय सिवनी ।
4	श्री सी.एफ.परस्ते डीएसपी-1	डीएसपी 1 अजाक	07692	221285		221285		थाना अजाक सिवनी ।
5	श्री डी.एस. मरकाम	एसडीओपी लखनादौन	07690	240157	240163	240157		एसडीओपी कार्यालय लखनादौन
6		एसडीओपी केवलारी	07694	235262		235262		एसडीओपी कार्यालय केवलारी
7	श्री दीपक मिश्रा	नगर निरीक्षक सिवनी	07692	220555				कोतवाली सिवनी ।
8	श्रीमति रामदुलारी ठाकुर	उनि(अ)	07692	220175				पुलिसअधीक्षक कार्यालय
9	श्रीमति राधा विश्वकर्मा	महिला आरक्षक	07692	220508				रक्षित केन्द्र सिवनी ।

बिन्दु क्रमांक – 10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

जिला पुलिस बल सिवनी के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की कुल प्राप्तियां एवं मुआवजा से संबंधित अन्य प्राप्तियों की जानकारी कार्यालय स्थित वेतन शाखा में हार्ड कापी में उपलब्ध हैं जिनकी जानकारी कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है ।

बिन्दु क्रमांक - 11

प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट
(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

पुलिस अधीक्षक कार्यालय को विभिन्न शासकीय मदों, योजनाओं से प्राप्त बजट/आबंटन एवं व्यय से संबंधित जानकारी कोषालय संहिता के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में हार्डकापी में उपलब्ध है। जिसकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

क्र०	मद	प्रस्तावित बजट रु०	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त(किशतोंमें)	कुल व्यय
	जिला पुलिस बल				
1	मजदूरी 12	360000	350000	-	318074
2	डाक तार व्यय 22/001	15000	15000	-	15000
3	टेलीफोन प्रभार 22/002	321000	321000	-	298964
4	पुस्तक पत्रिका 22/004	9500	7000	-	6990
5	बिजली एवं जल प्रभार 22/005	875000	680000	-	503823
6	फार्म छपाई एवं लेखन सामग्री 22/007	948000	796000	-	795963
7	अन्य आकस्मिक व्यय 22/008	175000	132000	-	160646
8	किराया व कर 22/011	24000	24000	-	22849
9	मोटर गाड़ियों का	2137000	1685000	-	1312367
10	पेट्रोल डीजल 22/009	5600000	5100000	-	5066039
11	खपने वाला समान 34/006	35700	35000	-	33513
12	भोजन व्यय 34/004	152000	122000	-	120430
13	भेदियों को ईनाम 18	20000	20000	-	200
14	सिलाई अनुदान 25/4492/104	42830	42830	-	42762
15	ब्राउनिंग 25/4492/104	10919	10919	-	10919
16	किट अनुदान 25/4492/104	18352	18352	-	18289
17	मेडिकल चार्जस 11/009	108000	108000	-	90983
18	पुलिस को ईनाम 11/008	-	-	-	-
19	यात्रा भत्ता 21/001	2157000	1807000	-	1411569
20	हायर चार्जस 31/007	533000	533000	-	500091
21	फर्नीचर एवं उपकरण 22/003	21500	19900	-	10058
22	मशीन एवं संयंत्र 63	79000	12100	-	12100
	योग	2790500	2372000	0	1933818

अन्य लोक प्राधिकरणों के लिये वित्तीय वर्ष 2009-2010 के बजट की जानकारी

सी0आई0डी0 –270

क0	मद	प्रस्तावित बजट रु0	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त(किश्तोंमें)	कुल व्यय
1	किराया व कर 22-011				
2	टेलीफोन	25500	23000	-	21721
3	बिजली व्यय	46000	46000	-	38969
4	पुस्तक /पत्रिका	8000	8300	-	7281
5	डाक तार व्यय	2300	2300	-	2300
6	पुलिस को ईनाम	-	-	-	-
7	मेडिकल चार्जस	12000	12000	-	5184
8	यात्रा व्यय	77500	8900	-	65522
9	अन्य आकस्मिक व्यय	3000	1000	-	1000
	योग-	92500	21900	-	71706

अ0जा0क0-5172

क0	मद	प्रस्तावित बजट रु0	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त(किश्तोंमें)	कुल व्यय
1	स्टेशनरी/अन्य आकस्मिक व्यय	36000	41000	-	33464
2	अन्य प्रभार	34000	29000	-	17095
3	टेलीफोन प्रभार	15000	25900	-	7710
4	पी0ओ0एल	90000	95000	-	79844
5	मेडिकल चार्जस	5000	5000	-	4564
6	यात्रा व्यय	115500	142000	-	81569
7	प्रशिक्षण मद	40000	43000	-	38910
8	अनुरक्षण मद एमटी	44000	51000	-	30833
	योग-	379500	431900	-	293989

पुलिस अस्पताल-2634

क0	मद	प्रस्तावित बजट रु0	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त(किश्तोंमें)	कुल व्यय 30.09.05 तक
1	दवाई का क्रय	83500	44000	-	44000
2	अन्य आकस्मिक व्यय	1000	800	-	800
3	मेडिकल चार्जस	1300	1200	-	0
4	यात्रा व्यय	1000	1000	-	0
5	एम्प्युनिटि फण्ड	21350	1134	-	1134
6	लाइन फण्ड	5000	1134	-	1134
	योग-	113150	49268	-	47068

बिन्दु क्रमांक – 12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

पुलिस विभाग द्वारा अनुदान/राज सहायता प्रदान नहीं की जाती है ।

बिन्दु क्रमांक – 13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

उपरोक्त बिन्दु का संबंध पुलिस विभाग से नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक – 14

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

सीसीआईएस योजना के अंतर्गत वर्ष 1995 से अपराध एवं अपराधियों से संबंधित जानकारी पुलिस कार्यालय स्थापित कम्प्यूटर में दर्ज की जा रही है । थाना अजाक में स्थापित कम्प्यूटर पर डाटा सर्विलेस सिस्टम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित एवं महिला परामर्श केन्द्र से संबंधित जानकारी दर्ज की जा रही है ।

बिन्दु क्रमांक – 15

सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को प्राप्त सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिये निम्न साधनों का उपयोग किया जा सकता है :-

1. सूचना पटल
2. दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
3. उपलब्ध विभागीय मैनुअल
4. म.प्र. पुलिस वेबसाईट www.mppolice.gov.in
5. कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन

बिन्दु क्रमांक – 16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विशिष्टियाँ
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना
अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी
अपीलीय अधिकारी

:: अपीलीय अधिकारी ::

स. क्र.	विवरण	कार्यालय का पता	निवास का पता	दूरभाष क्रमांक		रिमार्क
				कार्यालय	निवास	
1.	श्री रमनसिंह सिकरवार पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक सिवनी ।	पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिवनी ।	बारापत्थर सिवनी	07692-226689	07692-225589	Mob. 9425093000

:: लोक सूचना अधिकारी ::

स. क्र.	विवरण	कार्यालय का पता	निवास का पता	दूरभाष क्रमांक		रिमार्क
				कार्यालय	निवास	
1.	श्री आर0एस0 डेहरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी ।	पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिवनी ।	जे.ए.डी. कालोनी, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास सिवनी	07692-220175	07692-220284	Mob. 9425627516

:: सहायक लोक सूचना अधिकारी ::

1.	श्री सुरेश अग्निहोत्री रक्षित सिवनी	रक्षित केन्द्र सिवनी	रक्षित केन्द्र सिवनी	07692-220508	07692-220508	9425469219
2.	श्री एस0के0 भारतीय मुख्य लिपिक पुलिस कार्यालय सिवनी ।	पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिवनी	बड़ी पुलिस लाईन सिवनी	0792-220175	—	9425385743

: : थाना स्तर पर लोक सूचना अधिकारी : :

स. क्र.	विवरण	कार्यालय का पता	निवास का पता	दूरभाष क्रमांक		रिमार्क
				कार्यालय	निवास	
1.	श्री दीपक मिश्रा निरीक्षक सिवनी	थाना सिवनी	थाना सिवनी	07692-220555	07692-220555	Mob.9425800079
2.	श्री आर0डी0 मिश्रा निरीक्षक थाना लखनवाडा	थाना लखनवाडा	थाना लखनवाडा	07692-236425	07692-236425	9826226381
3.	श्री एस0आर0 ठाकुर निरीक्षक थाना लखनादौन ।	थाना लखनादौन	थाना लखनादौन	07690-240123	07690-240123	9406740010
4.	श्री पी0एस0 बालरे निरीक्षक थाना प्रभारी कान्हीवाडा	थाना कान्हीवाडा	थाना कान्हीवाडा	07692-253246	07692-253246	9425465464
5.	श्री सी0एल0 इडपाचे निरीक्षक थाना प्रभारी केवलारी	थाना केवलारी	थाना केवलारी	07694-235232	07694-235232	9425164989
6.	श्री जी0ई0 कार निरीक्षक थाना प्रभारी कुरई	थाना कुरई	थाना कुरई	07692-246425	07692-246425	9425875874
7.	श्री एम0एस0 धुर्वे निरीक्षक थाना प्रभारी घंसौर	थाना घंसौर	थाना घंसौर	07693-280036	07693-280036	9425693364
8.	श्री ए0आर0 भार्वे निरीक्षक थाना प्रभारी छपारा	थाना छपारा	थाना छपारा	07691-290225	07691-290225	9425342106
9.	श्री ओ0पी0 विनोदिया निरीक्षक थाना प्रभारी बरघाट	थाना बरघाट	थाना बरघाट	07692-250226	07692-250226	9425866345
10.	श्री मुकेश खम्पड़िया उ0नि0 थाना प्रभारी बण्डोल	थाना बण्डोल	थाना बण्डोल	07692-237425	07692-237425	9425819222
11.	श्री राजेश मालवीय उ0नि0 थाना प्रभारी अरी	थाना अरी	थाना अरी	07692-239444	07692-239444	9977951317
12.	श्री नरेन्द्र जैन उ0नि0 थाना प्रभारी उगली	थाना उगली	थाना उगली	07694-248636	07694-248636	9425188194
13.	श्री मनोज गुप्ता उ0नि0 थाना प्रभारी धूमा	थाना धूमा	थाना धूमा	07690-288045	07690-288045	9425483983

14.	श्री पी0एल0 वासनिक उ0नि0 थाना प्रभारी धनौरा	थाना धनौरा	थाना धनौरा	07693-285469	07693-285469	9425383545
15.	श्री एस0सी0 तेकाम थाना प्रभारी किन्दरई	थाना किन्दरई	थाना किन्दरई	07693-298209	07693-298209	9425855750

बिन्दु क्रमांक - 17

अन्य उपयोगी जानकारी :-

समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अनुरूप जानकारी का संधारण किया जाता है ।